महाराजासूरजमलबृजविश्वविद्यालय

एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर-321001

Tele No.: 05644-220229 (O) Fax No. : 05644-220560 (O)

Email-vc@msbrijuniversity.ac.in

—: प्रबन्ध–मण्डल बैठक के कार्यवाही विवरण :—

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल (BOM) की बैठक दिनांक 02 जून 2018 को पूर्वाह्न 11.15 बजे विश्वविद्यालय परिसर के सभा–कक्ष में आयोजित की गई।

प्रबन्ध–मण्डल (BOM) की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

1. प्रो. अश्वनी कुमार बंसल, माननीय कुलपति, म. सू. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
2. डा. उमेश चन्द शर्मा, प्राचार्य, एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर Nominee of A.C.S. Higher Education, Jaipur (Raj.)
3. श्री विजय बंसल, M.L.A. Bharatpur,Government Nominee
4. श्रीमती अनीता सिंह, M.L.A. Nagar, Government Nominee
5. प्रो.(डा.) भृगु नाथ पाण्डेय, Chancellor's Nominee
6. प्रो. अशोक शर्मा, Government Nominee
7. डा. ए.के. बंसल, VC's Nominee
8. डा. ए.के. श्रीवास्तव, VC's Nominee
9. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, कुलसचिव, सदस्य सचिव, म.सू. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
10. डा. बी.के. सिंह, वित्त नियंत्रक, Special Invitee

अध्यक्ष / मा. कुलपति महोदय ने प्रबन्ध–मण्डल के सभी उपस्थित मा. सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। दो सदस्यों डा. मनरूप सिंह मीणा तथा डा. सुरेन्द्र सिंह सिनसिनवार का प्रबन्ध–मण्डल सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ। दोनों सदस्यों के योगदान की सराहना की गई। नए स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में वित्त नियंत्रक डा. बी.के. सिंह का अध्यक्ष / कुलपति महोदय ने परिचय कराया।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिए गए —

क्र.सं	एजेण्डा बिन्दु	विभाग
1.	दिनांक 07.04.2018 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–01)	
निर्णय	सभी सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।	
2.	दिनांक 07.04.2018 के कार्यवाही विवरण पर लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट। (परिशिष्ट–02)	
निर्णय	बिन्दु संख्या 01 के अन्तर्गत कुलसचिव ने सूचित किया कि परीक्षा सत्र 2016 के Over Time पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि के भुगतान के लिए बिलों के सत्यापन व उपस्थिति के रिकार्ड प्रस्तुत किए जाने पर शेष राशि का भुगतान करने पर निर्णय लिया जायेगा। सभी सदस्यों ने दिनांक 07.04.2018 के प्रबन्ध–मण्डल की बैठक के प्रगति रिपोर्ट का अनुमोदन किया।	
3.	दिनांक 23.05.2018 को आयोजित अकादमिक परिषद् की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–03)	VC Sectt.

निर्णय	अकादमिक परिषद की Minutes के बिन्दु संख्या 07 पर चर्चा हुई। प्रबन्ध–मण्डल के सदस्यों का मानना था कि विश्वविद्यालय का यह निर्णय सराहनीय है और राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी उदाहरण बनेगा। इसे शीघ्र लागू किया जाय। इस कमेटी की सराहना की गई। पूरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या f के सन्दर्भ में सदस्यों का सुझाव था कि भर्ती हेतु पदों की Specializations विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही तय कर ली जाएँ। Selection Committee उन तय Specializations के आधार पर ही Selection करेगी। पूरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या h के सन्दर्भ में प्रो. अशोक शर्मा ने कुछ doubt express किए परन्तु सभी सदस्यों ने उन्हें बताया कि Standing Committee का सभी कार्य अकादमिक परिषद् में ही जाता है। प्रबन्ध–मण्डल ने अकादमिक परिषद् के Minutes को ऊपर लिखित सुझाव के साथ स्वीकार किया।	
4.	Approval of the eligibility conditions and advt. for sanctioned teaching posts in BOM. To approve the desirable streams from the discipline whose qualifications and specializations were passed by Academic Council meeting held on dated 23.05.2018. To ratify the decisions of AC. राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा (ग्रुप–04) विभाग के पत्र क्र.सं. 14(31) शिक्षा–4/2012 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार विश्वविद्यालय को Deptt. of Drawing & Painting, Deptt. of Home Science, Deptt. of Maths & Computer Science, Deptt. of Law LLB (05 Years) तथा Deptt. of Law LLM को स्वीकृत किए गए कुल 30 शैक्षणिक पदों में से क्रमशः 02 पद एसोसिएट प्रोफेसर व 03 पद Assistant Professor प्रत्येक विभाग में भरे जाने की सहमति प्रदान की गई है। तदनुसार, विभागवार आवण्टित पदों पर आवेदन करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप, सेवा शर्तें, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रबन्ध–मण्डल से अनुमोदन किए जाने हेतु प्रस्तुत हैं। (परिशिष्ट–04, 4A, 4B)	Estt./ Recr uit.
निर्णय	विज्ञापन के पार्ट I General Terms and Conditions के बिन्दु संख्या 10 की दूसरी पंक्ति वर्णित Written Test को कुलपति ने सदस्यों के सुझाव पर हटा दिया। विज्ञापन के पार्ट II Eligibility Conditions, Qualifications and Specializations for Posts के उपखण्ड A व B के बिन्दु 01 में वर्णित Consistent Good Academic Record में से Consistent शब्द हटाया गया। Good Academic Record को परिभाषित कर विश्वविद्यालय की Website पर शीघ्र ही upload कर दिया जायेगा। सभी सदस्यों की सहमति द्वारा पास किया गया।	
5.	05 year BA-LLB, BBA-LLB (Integrated) एवं LLM पाठ्यक्रम तथा PG Home Science, Drawing & Painting तथा Mathematics & Computer Science के कक्षाओं के संचालन हेतु Hybrid Scheme/Model के आधार पर teaching faculty की नियुक्ति की जानी है जिसका खर्च विश्वविद्यालय की Fee Collection से किया जाएगा। इसमें Administrative staff (Stenographer व Clerk) आदि भी लिए जा सकते हैं। यह अस्थाई, निश्चित अवधि की नियुक्तियाँ की जाएंगी। इसकी कोई Permanent Liability सरकार व विश्वविद्यालय की नहीं होगी। पूर्व में बोम द्वारा अनुमोदित है। सूचनार्थ प्रस्तुत।	VC Sectt.
निर्णय	कुलपति महोदय ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के मॉडल पर, जिसकी स्वीकृति शासन से भी है, हमें Hybrid Scheme/ Model के आधार पर भर्तियाँ करनी हैं। अनुमोदन किया गया।	
6.	बोम ने 07.04.2018 की बैठक में निर्णय लिया है कि जिन पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है उन पर संविदा के आधार पर एजेन्सी के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ। विश्वविद्यालय ने Hybrid Scheme के अन्तर्गत भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। आवश्यकता पड़ने पर योग्य कार्मिक एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर work order के अनुसार लिए जा सकते हैं। बोम के सूचनार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–05)	VC Sectt.
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	

	Supplementary Agenda / Table Agenda	
(i)	Reporting & Approval of the order issued under section 12(6) about the rates of compensation to Assistant Professor Consultant, Associate Professor Consultant & other senior faculty in the nature of Head or Principal. The remuneration has been kept at about 50-60% carry home pay of Assistant Professor & Associate Professor as per minimum UGC pay scale. (परिशिष्ट – 6)	VC Sectt.
निर्णय	सम्बन्धित परिशिष्ट 6 में एक ही बात दो अलग–अलग पैराग्राप्स में टाईप हो गई जो निम्नवत है– The consolidated compensation for Assistant Professor Consultant for Law teachers would be from Rs. 20,000/- upto Rs. 35,000/- P.M depending upon the merit. The remuneration for these posts will be from Rs. 20,000/- upto Rs. 35,000/-P.M., other conditions would remain the same as adopted previously in SFS Board depending upon the merit. नोटशीट फाईनल करते समय दूसरा पैरा डिलीट करने से रह गया। दूसरे पैराग्राफ को परिशिष्ट 6 से डिलीट कर दिया गया। Annexure will be part of the minutes. सर्वसम्मति से पास किया गया।	
(ii)	To approve the Fee Structure for LL.B. & LL.M. The fee is fixed Rs 55000/- for LL.B. & Rs 65000/- for LL.M. It is initially fixed the same cost as in 2017-18 but may be reduced as soon as recruitment of teachers takes place. (परिशिष्ट – 7)	Acad.
निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	
(iii)	विश्वविद्यालय के 05 वर्षीय एलएल.बी. व अन्य कोर्सो के लिए अकादमिक भवन नियमानुसार किराये पर लिए जाने की Authorization विश्वविद्यालय में सत्र 2018–19 में परिसर की एलएल.बी. (05 वर्षीय) की कक्षाओं के संचालन के लिये अकादमिक भवन नियमानुसार किराये पर लिये जाने आवश्यक है। अकादमिक भवन में 60 छात्रों के बैठक क्षमता के तीन कक्षा–कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि लिया जाएगा। बी.सी.आई. के मापदण्ड़ों के अनुसार बिल्डिंग होना आवश्यक है। D&P की एम ए फाईनल क्लास के लिए भी क्लासरूम की व्यवस्था चाहिए। Computer & Maths के लिए भी क्लासरूम चाहिए। इसकी व्यवस्था करने हेतु रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस सन्दर्भ में डा. लाला शंकर गयावाल, प्रभारी एलएल.बी., डा हेमन्त कुमार महावर, उपप्रभारी एलएल.बी., डा. परमजीत सिंह, प्रभारी कुलपति सचिवालय एवं डा. अरूण कुमार पाण्डेय, उपकुलसचिव की एक समिति बनाई गई है तथा महात्मा गाँधी वेटनरी कॉलेज, आगरा रोड़, भरतपुर से बातचीत चल रही है। अन्य से भी बात चलाई जा सकती है। सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	Acad.
निर्णय	विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए बिन्दु संख्या (iii) का अनुमोदन किया गया।	

माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव 13/6/2018

VC